भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.362

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में आरकेवीवाई-रफ़्तार

362. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

श्री बस्तीपति नागराजू:

डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (रफ़्तार) भी शामिल है, के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे घटकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए घटक-वार, राज्य-वार और ज़िला-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए घटकवार, राज्यवार और ज़िलावार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) यदि घटकों के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग हो गया है, तो क्या राज्यों को अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए घटकवार, राज्यवार और जिलावार कितने अतिरिक्त आवंटन प्रदान किए गए है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आय सृजन कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों के जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या योजना के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर); प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी); वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी); फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) सहित कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम); सॉयल हेल्थ एंड फर्टीलिटी (एसएचएंडएफ); परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई); कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) घटक हैं।

(ख) आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर एकल के साथ-साथ सामुदायिक और संस्थागत परिसंपत्तियों को भी सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक आंध्र प्रदेश राज्य को पीएम-आरकेवीवाई आवंटन और जारी फंड निम्नानुसार है:

						(करोड़ रूपये में)
घटक	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
आरकेवीवाई डीपीआर	183.20	45.79	86.33	86.33	86.33	80.54
पीडीएमसी	300.00	222.82	230.00	105.75	352.00*	337.85
एसएमएएम	47.45	47.45	51.00	-	50.99	50.99
पीकेवीवाई	-	-	19.40	9.70	28.00	28.00
एसएचएंडएफ	-	-	9.52	4.20	8.81	8.81
आरएडी	10.00	2.50	13.99	-	14.00	3.51
कृषि वानिकी	-	-	0.50	-	0.50	-
सीडीपी	-	-	3.45	-	3.45	-
कुल	**540.65**	**318.56**	**414.19**	**205.98**	**544.08***	**509.70**

* जिसमें वर्ष 2024-25 में पीडीएमसी के अंतर्गत 102.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

(घ) योजना की मध्यावधि समीक्षा के बाद, निधियों के उपयोग और बचत उपलब्धता, यदि कोई हो, के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य को क्रमशः 57.46 करोड़ रुपये (पीकेवीवाई के अंतर्गत) और 102.00 करोड़ रुपये (पीडीएमसी के अंतर्गत) का अतिरिक्त आवंटन किया गया।

(ङ) किसानों के जोखिम को कम करने और अतिरिक्त आय सृजन के लिए, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना के अंतर्गत एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और उन्हें उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिम को कम करने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, मधुमक्खी पालन आदि जैसी मिश्रित फसल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा बताया गया है, पीडीएमसी योजना के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल की गई हैं ताकि किसानों को बेहतर पद्धतियों को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके:

i. किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम:- सूक्ष्म सिंचाई, फसल नियोजन, उर्वरीकरण, कीट प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धति और जलवायु-अनुकूल पद्धतियां अपनाना।
ii. नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को सफल आदर्श खेत का अनुभव प्रदान करना।

iii. कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), बागवानी विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से विभिन्न विषयों (जैसे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती, मूल्य संवर्धन और विपणन रणनीतियाँ) पर कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन।

iv. विस्तार कर्मचारियों का क्षमता निर्माण: स्थल पर प्रभावी कार्यान्वयन और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और एपीएमआईपी तकनीकी कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण।

******